न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प गोगरा, तहसील सुमेरपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 74 / 2016
दायर तिथि– 22.12.2016
तारीख फैसला– 09.05.2018

वादीगण–

1–मोहब्बतसिंह पुत्र बुद्धसिंहजी, आयु 81 वर्ष,
2–इन्दरसिंह पुत्र बुद्धसिंहजी, आयु 76 वर्ष,
3–जब्बरसिंह पुत्र जयसिंहजी, आयु 78 वर्ष
4– मोतीसिंह पुत्र जयसिंहजी, आयु 73 वर्ष
5– भंवरसिंह पुत्र जयसिंहजी, आयु 53 वर्ष

तमाम जाति से राजपूत, निवासीगण रामनगर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली, जिला–पाली(राज.)

–बनाम–

प्रतिवादीगण–

1–लालानाथ पुत्र मीठाजी, आयु बालिग,
2–वदानाथ पुत्र समानाथजी, आयु बालिग
3–ओटानाथ पुत्र समानाथजी, आयु बालिग
4–सुरेशनाथ पुत्र गजानाथजी, आयु बालिग
5–मानानाथ पुत्र फूलनाथजी, आयु बालिग
7–पन्नानाथ पुत्र मोनानाथजी आयु बालिग
8–केसवनाथ पुत्र अमरनाथजी, आयु बालिग
9–खीमनाथ पुत्र गजेनाथजी, आयु बालिग
10–दिलीपनाथ पुत्र कोननाथजी, आयु बालिग
11–कसननाथ पुत्र पूरनाथजी, आयु बालिग
12–भीखनाथ पुत्र गजेनाथजी, आयु बालिग

तमाम जाति से जोगी नाथ, निवासीगण कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली(राज.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट, 1955

–:निर्णयः–

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

(1) वादीगण द्वारा यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा रामनगर पटवार क्षैत्र कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर में वादीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 214 रकबा 1.73 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल तथा वादी संख्या तीन लगाय पांच के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 213 रकबा 1.77 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल आयी हुई स्थित है,

(2) तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर की जांच के अनुसार ग्राम कोलीवाडा वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खसरा नं. 213 व 214 बेचान होने से रोमन कैथोलिक डायोसिस

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

सोसायटी के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। वादी के नाम से खसरा न. 213/1 रकबा 0.1280 हैक्टर तथा खसरा न. 214/1 रकबा 0.0450 तथा खसरा नं. 214/2 रकबा 0.09 हैक्टर भूमि ही शेष बची है।

(3) खसरा नं. 213 व 214 रकबा 1.17 हैक्टर व 1.73 हैक्टर दावे में सरहद मौजा रामनगर बताया है जबकि उपरोक्त कृषि भूमि सरहद मौजा कोलीवाडा में स्थित है।

(4) खसरा न. 214/2 रकबा 0.09 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि है किन्तु वास्तव में उक्त भूमि कालबेलिया समाज के लोगों द्वारा कई वर्षो से शमशान हेतु उपयोग की जा रही है। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। फलतः उल्लेखित तथ्यों के आधार पर हमारे विधिक मतानुसार व तहसीलदार (भूमिधारी) व भू.अ.निरीक्षक सुमेरपुर पटवारी हल्का कोलीवाडा की जांच के अनुसार उक्त कृषि भूमि का उपयोग कालबेलिया समाज द्वारा शमसान के रूप में उपयोग में लेने से भूमि की प्रकृति शमशान के रूप में होने से व प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रथमतः परिपोषणिय व चलने योग्य नहीं होने से इसे खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कोलीवाडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर-पाली

Scanned by CamScanner